(72)

हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रशिक्षण एवं विदेशी समनुदेशन विभाग

संख्या:का0(प्रशिक्षण)ए(4)-2/92-II-पार्ट, तारीख: शिमला-2, 18 अप्रैल 2007.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या:कार्मिक (प्रशिक्षण) बी(12)-40/95,तारीख 13 मार्च, 1997 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा (प्रथम संशोधन) नियम, 2007 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगें । तथापि नियम 23 (2) के उपबन्ध इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के एक वर्ष पश्चात् प्रवृत्त होगें ।

नियम 2(2)(vi) का संशोधन ।

2.(i) हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम,1997 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) के नियम-2 के उप-नियम (2)के खण्ड(v) के पश्चात् परन्तु खण्ड(vi) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड(vi) अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''(vi) समस्त ऐसे अन्य अराजपत्रित कर्मचारी जिन्होनें हिमाचल प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कम से कम दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनकी अगली प्रोन्नति या स्थानन (प्लैसमैंट), जब कभी भी हो, उन्हें राजपत्रित पंक्ति में ले आएगी ।''

(ii) उक्त नियमों के नियम 2 के उप-नियम (2)के विद्यमान खण्ड (vi) को खण्ड (vii) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

नियम 4 का संशोधन । 3. उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (1) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :-

विभागीय परीक्षा बोर्ड का गठन निम्नलिखित से होगा :-

"(i) मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
(ii)प्रधान सचिव/सचिव (राजस्व)	सदस्य
(iii)प्रधान सचिव/सचिव (उद्यान)	सदस्य
(iv)प्रधान सचिव/सचिव (कार्मिक)	सदस्य
(v)प्रधान सचिव/सचिव (वित्त)	सदस्य
(vi)प्रधान सचिव/सचिव (प्रशिक्षण)	सदस्य
(vii)महानिदेशक/निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान ।	सदस्य

परन्तु अध्यक्ष, जब कभी आवश्यक हो, सरकार के किसी प्रधान सचिव/सचिव को और/या सम्बद्ध विभागाध्यक्ष को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा ।" ।

नियम 12 (2) का संशोधन । 4. उक्त नियमों के नियम 12 के उप नियम (2) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"सचिव द्वारा अवार्ड-सूचियों की प्राप्ति पर परिणाम संकलित किया जाएगा और ऐसी

(24)

सिफारिशों सहित, जैसी वह आवश्यक समझें, अध्यक्ष के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाएगा ।"

नियम 17 का संशोधन। 5. "उक्त नियमों" के नियम 17 के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"अनुचित साधन- उस अधिकारी, जिसे या तो परीक्षा के समय या तत्पश्चात् अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, के मामले की तत्काल उत्तर-पुस्तिका(ओं) और किसी अन्य दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य सहित सचिव को तत्काल रिपोर्ट की जाएगी जो ऐसे अधिकारी के विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई विनिश्चित करने के लिए मामला अध्यक्ष के समक्ष रखेगा । अध्यक्ष निम्नलिखित में से कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :-

(i) अधिकारी को पूर्ण परीक्षा में अनुतीर्ण घोषित किया जा सकेगा ;

(ii) अधिकारी को एक या अधिक पेपरों में अनुतीर्ण घोषित किया जा सकेगा ;

(iii) अधिकारी को भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने से विवर्जित किया जा सकेगा ; और

(iv) कोई अन्य कार्रवाई, जिसे अध्यक्ष, सम्बद्ध विभाग को उसके विरूद्ध करने के लिए सुझाना चाहे :

परन्तु अध्यक्ष कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व अभ्यर्थी को मौखिक या लिखित में अभ्यावेदन करने का अवसर दे सकेगा ।"

नियम 23 (2) का संशोधन ।

6. उक्त नियमों के नियम 23 के विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"राजपत्रित अधिकारी से जिसने 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, दक्षता रोध पार करने/ प्रवीणता वेतन वृद्धि/आगामी देय, उच्चतर वेतनमान और सेवा में स्थाईकरण के प्रयोजनों के लिए, समय-समय पर यथा संशोधित इन नियमों के अधीन विहित विभागीय परीक्षा उर्तीण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी । तथापि राजपत्रित अधिकारी, उनकी आयु को विचार में लाए बिना, आगामी प्रोन्नति, जब भी देय हो, ऐसी परीक्षा पास करने के पश्चात् ही प्राप्त करने के हकदार होगें ।"

आदेश द्वारा,

एस0 विजय कुमार
प्रधान सचिव (प्रशिक्षण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(26)

संख्या:यथोपरि, तारीख: शिमला-171002, 18 अप्रैल 2007.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त सचिव/विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।

2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-171002.

3. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।

4. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।

5. निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलान्ज, शिमला-171012.

6. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।

7. नियन्त्रक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171005, को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधरण) में प्रकाशित करने हेतु । उनसे यह भी अनुरोध है कि उक्त असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश की 140 प्रतियाँ निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलान्ज, शिमला-12 को शीघ्रातिशीघ्र भिजवाने की कृपा करें ।

8. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

9. गार्ड फाईल ।

अवर सचिव (प्रशिक्षण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।